(6)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक – ह0क0सह0– (योजना/सी0एफ0सी0)–08/2016 958 पटना, दिनांक– 10/03/2017
प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

विषय :– **हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण एवं मशीन उपकरण की खरीद हेतु राज्य योजना मद से राशि 100.00 लाख (सौ लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बाजार की जरूरत के अनुसार अधिक मूल्य के कपड़ो का समग्र रूप से उत्पादन और विपणन में हस्तकरघा बुनकरों की सहायता करने तथा उन्हें वस्त्र बुनाई से संबंधित बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु चार जिलों यथा मधुबनी, नालन्दा, नवादा एवं सिवान के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उपलब्ध भवन में हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण/स्थापना, मशीन उपकरण की खरीद एवं उपलब्ध भवन की मरम्मति हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना मद से 100.00 लाख (सौ लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का कार्यान्वयन/संचालन प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति के माध्यम से किया जायेगा जो विगत दो वर्षों में लाभ प्राप्त किया हो।

3. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का स्थापना/निर्माण 3000 वर्गफीट भूखण्ड में किया जायेगा।

4. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र के कार्यान्वयन/संचालन हेतु उन्हीं समितियों का चयन किया जायेगा जिन्हें पूर्व में केन्द्र या राज्य प्रायोजित योजना के तहत इस प्रकार का लाभ प्राप्त न हो।

5. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण/स्थापना जिलों के वैसे हस्तकरघा कलस्टर में किया जायेगा जहाँ वस्त्र मंत्रालय द्वारा हस्तकरघा साझा सुविधा केन्द्र स्वीकृत/स्थापित नहीं है।

6. योजना के कार्यान्वयन हेतु जिलावार आवंटित राशि परिशिष्ट–'क' के आलोक में हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण/मरम्मति/मशीन एवं उपकरण मद में मदवार राशि का व्यय किया जायेगा।

7. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का केन्द्र के भवन का निर्माण वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नक्शा (परिशिष्ट– 'ख') के अनुसार किया जायेगा।

8. बुनकरों के हित को ध्यान में रखते हुए सामान्य सुविधा केन्द्र के संचालन हेतु जिले के चयनित प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति के साथ एकरारनामा हस्ताक्षर किये जायेंगे। संबंधित एकरारनामा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं चयनित प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति के बीच होगा।

9. सिवान जिला में उपलब्ध जर्जर भवन के स्थान पर सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण किया जायेगा तथा हस्तकरघा एवं हस्तकरघा से संबंधित आधुनिक उपकरण लगाये जायेंगे। नवादा एवं मधुबनी में उपलब्ध भवन की मरम्मति कराकर हस्तकरघा एवं हस्तकरघा से संबंधित आधुनिक उपकरण लगाये जायेंगे। नालन्दा जहाँ नवनिर्मित भवन उपलब्ध है, हस्तकरघा एवं हस्तकरघा से संबंधित आधुनिक उपकरण लगाये जायेंगे।

10. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी, नालन्दा नवादा एवं सिवान से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उपलब्ध भवन की स्थिति तथा उपलब्ध भवन में किये जाने वाले कार्य का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0	जिला	पत्रांक	भवन की स्थिति	स्थान	CFC स्थापना हेतु आवश्यक कार्य
1.	नवादा	319 / 05.05.16	बुनकर भवन	कादिरगंज	उपलब्ध भवन की मरम्मति एवं मशीन उपकरण की खरीद
2.	नालन्दा	402 / 11.05.16	नवनिर्मित भवन	नेपुरा	नवनिर्मित बुनकर भवन हेतु मशीन एवं उपकरण की खरीद
3.	सिवान	188 / 07.05.16	क्षेत्रीय संघ का कार्यशाला	फरीदपुर	जीर्ण–शीर्ण अवस्था में उपलब्ध कार्यशाला के स्थान पर नये सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण एवं मशीन उपकरण की खरीद
4.	मधुबनी	345 / 05.05.16	बुनकर शेड	हरिनगर	उपलब्ध भवन की मरम्मति एवं मशीन उपकरण की खरीद

11. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र के दैनिक कार्य–कलापो का संचालन, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन तथा प्री–लूम, ऑन लूम एवं पोस्ट लूम हेतु बुनकरों के चयन की पूर्ण जवाबदेही चयनित प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति की होगी। जिसकी स्वीकृति समिति की निर्वाचित प्रबंधकारिणी में ली जायेगी। समय–समय पर संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र के सफल संचालन का स्थल निरीक्षण किया जायेगा।

12. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का उपयोग व्यवसायिक, निजी लाभ या अन्य किसी गैर बुनाई कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

13. योजना में स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष– 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष– 103 हथकरघा उद्योग, माँग संख्या–23, उपशीर्ष– 0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड–P2851001030103, राज्य योजना स्कीम कोड IND 5438 के अन्तर्गत विषय शीर्ष– 2701 लघु कार्य 5201 मशीन एवं उपस्कर एवं 1301 कार्यालय व्यय मद से विकलित होगा, जिसके लिए आय–व्ययक 2016–17 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

14. स्वीकृत राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र होंगे, जो राशि संबंधित जिला के जिला कोषागार से एक मुश्त अग्रिम के रूप में निकासी कर योजना का कार्यान्वयन करायेंगे तथा व्यय के पश्चात् प्राप्त दस्तावेज के आधार पर विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को उपलब्ध करायेंगे।

15. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे तथा वे इस योजना का अनुश्रवण / समीक्षा करेंगे। योजना क्रियान्वयन के लिए निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा अलग से दिशा–निर्देश जारी किया जायेगा।

16. यह राज्यादेश संचिका संख्या ह0क0सह0–(यो0 / सी0एफ0सी0)– 08 / 2016 के पृष्ठ 36 / टि0 पर दिनांक 10.03.2017 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति से निर्गत किया जा रहा है। जिसका डायरी संख्या शून्य दिनांक 10.03.2017 है।

17. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 / वि0 (2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— ह0क0सह0— (योजना/सी0एफ0सी0)—08/2016 959 पटना, दिनांक— 10/03/2017
प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी, सिवान, नालन्दा एवं नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— ह0क0सह0— (योजना/सी0एफ0सी0)—08/2016 959 पटना, दिनांक— 10/03/2017
प्रतिलिपि— वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— ह0क0सह0— (योजना/सी0एफ0सी0)—08/2016 959 पटना, दिनांक— 10/03/2017
प्रतिलिपि— वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/अपर निदेशक (तक0), हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/आय—व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा—1(स0), उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को पाँच प्रतियों मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–क

राज्य योजना के अन्तर्गत हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना/निर्माण, उपलब्ध भवन की मरम्मति तथा मशीन उपकरण का क्रय हेतु जिलावार राशि का आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2016–17

क्र0	जिला का नाम	कार्यान्वयन पदा0	हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र के भवन पर व्यय हेतु लघु शीर्ष 103 विषय शीर्ष 2701 लघु कार्य। (राशि लाख में)	मशीन एवं अन्य उपकरण पर व्यय हेतु लघु शीर्ष 103 5201 मशीन उपकरण (राशि लाख में)	कार्यालय व्यय हेतु राशि लघु शीर्ष 103 1301 कार्यालय व्यय (राशि लाख में)	कुल राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिवान	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	35.00	14.80	0.20	50.00
2.	मधुबनी	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	3.00	14.80	0.20	18.00
3.	नालन्दा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	–	14.80	0.20	15.00
4.	नवादा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	2.00	14.80	0.20	17.00
		कुल राशि	40.00	59.20	0.80	100.00

10.3.17

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार पटना।